

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मई 2015—ज्येष्ठ 8, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2015

क्र. एफ. 5-1-2012-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 16(क) में, उपनियम (1) में, टिप्पणी का लोप किया जाए.

No. F 5-1-2012-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh General Provident Fund Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 16-A, in sub-rule (1), the Note shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकजी, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मई 2015

क्र. एफ 2(अ)10-2012-बी-4/दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) विद्यमान अनुसूची-एक के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए अर्थात् :—

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (5)
1	कार्यालय अधीक्षक	1	लिपिक वर्गीय तृतीय श्रेणी	रु. 9300—34800+3600
2	शीघ्रलेखक	2	-तदैव-	रु. 5200—20200+2800
3	रोकड़िया	1	-तदैव-	रु. 5200—20200+2400
4	सहायक ग्रेड दो	1	-तदैव-	रु. 5200—20200+2400
5	भण्डारी	1	-तदैव-	रु. 5200—20200+2100
6	सहायक ग्रेड-तीन	2	-तदैव-	रु. 5200—20200+1900
7	फोटोग्राफर	1	अलिपिकवर्गीय तृतीय श्रेणी	रु. 5200—20200+2800
8	प्रयोगशाला तकनीशियन	3	-तदैव- -तदैव-	रु. 5200—20200+2800 (दिनांक 1-4-2006 से स्वीकृत वेतनमान)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	प्रयोगशाला सहायक	3	अलिपिकवर्गीय तृतीय श्रेणी	रु. 5200—20200+1900
10	वाहन चालक	1	-तदैव-	रु. 5200—20200+1900

(2) अनुसूची-तीन के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए अर्थात् :-

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	अर्हता (5)	अनुभव (6)
---------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	---------------	--------------

गृह (पुलिस)
विभाग.

मध्यप्रदेश चिकित्सा
विधिक (अराजपत्रित) सेवा
1. शीघ्रलेखक

18 वर्ष

40 वर्ष

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से या मान्यताप्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ तथा हिन्दी मुद्रलेखन 30 शब्द प्रति मिनट की गति से साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.
3. निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हो—
 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.
 3. डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा.
 4. शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	40 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> 1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से या शासकीय मान्यताप्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा मण्डल या शासकीय मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए. 3. निम्नलिखित में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण हों— <ol style="list-style-type: none"> 1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. 2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. 3. डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. 4. शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट कोर्स. 		
3. फोटोग्राफर	18 वर्ष	40 वर्ष	स्नातक तथा फोटोग्राफी में डिप्लोमा		फोटोग्राफी के क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें 3 वर्षों का अनुभव विज्ञान के क्षेत्र में फोटोग्राफी का हो.
4. प्रयोग शाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	वनस्पतिशास्त्र प्राणीशास्त्र और रसायनशास्त्र विषय के साथ 10+2 पद्धति से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.		प्रयोगशाला कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए.
5. वाहन चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	आठवी कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ हल्के तथा मध्यम वाहन चालन के लिए विधि मान्य अनुज्ञप्ति होना चाहिए.		

No. F 2(A)10-2012-B-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Medico-Legal Class-III (Non-Gazetted) service Recruitment Rules, 1988, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) For the existing Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See rule 5)

Sl. No. (1)	Name of post included in the Service (2)	Number of posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay+Grade Pay (5)
1	Office Superintendent	1	Ministerial Class-III	Rs. 9300-34800+3600
2	Stenographer	2	—do—	Rs. 5200-20200+2800
3	Cashier	1	—do—	Rs. 5200-20200+2400
4	Assistant Grade-II	1	—do—	Rs. 5200-20200+2400
5	Store Keeper	1	—do—	Rs. 5200-20200+2100
6	Assistant Grade-III	2	—do—	Rs. 5200-20200+1900
7	Photographer	1	Non Ministerial Class-III	Rs. 5200-20200+2800
8	Laboratory Technician	3	—do—	Rs. 5200-20200+2800 (sanctioned pay scale w.e.f. 1-4-2006).
9	Laboratory Assistant	3	—do—	Rs. 5200-20200+1900
10	Driver	1	—do—	Rs. 5200-20200+1900

- (2) for Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of the Department (1)	Name of the Service (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Qualification (5)	Experience (6)
Home(Police) Department	Madhya Pradesh Medico-Legal (Non Gazetted) Service. 1. Stenographer	18 Years	40 Years	I. Must have passed Higher Secondary examination 10 + 2 pattern from Board of Secondary Education or recognized institution.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>2. Must have passed Hindi Shorthand with a speed of 100 words per minute and Hindi Typing passed with a speed of 30 words per minute from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board or Government recognized institution.</p> <p>3. Computer examination passed from any one of the following Institute—</p> <p>1. Diploma from any University recognized by U.G.C.</p> <p>2. Diploma from any Oper University recognized by U.G.C.</p> <p>3. Diploma level examination from D.O.E.A.C.C.</p> <p>4. Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.</p>	
	2. Assistant Grade-III	18 Years	40 Years	<p>1. Must have passed Higher Secondary examination 10+2 pattern from Board of Secondary Education or Government recognized Institution.</p> <p>2. Must have Hindi Typing Passed with a speed of 30 words per minute from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Board or Government recognized Institute.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Computer examination passed from any one of the following Institution.—	
				1. Diploma form any University recognized by U.G.C.	
				2. Diploma from any Open University recognized by U.G.C.	
				3. Diploma level examination from D.O.E.A.C.C.	
				4. Modern Office Management Course from Government Polytechnic College.	
	3. Photographer	18 Years	40 Years	Graduate and Diploma in Photography.	5 Years experience in the field of Photography, out of which 3 Years may be photography in the field of science.
	4. Laboratory Assistant.	18 Years	40 Years	Must have passed Higher Secondary Examination 10+2 pattern with Botany, Zoology and Chemistry subject.	Must posses Aptitude for Laboratory work
	5. Driver	18 Years	40 Years	VIIIth Standard Must possess valid Driving License for Light and medium vehicles.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय शर्मा, उपसचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2015

क्र. एफ 16-22-2015-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली सेवा भरती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में.—

1. विद्यमान अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए अर्थात् :—

“अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, सेवा में वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या			वर्गीकरण (6)	वेतनमान रुपये (7)
		स्थायी (3)	अस्थायी (4)	कुल (5)		
1	अपर संचालक	-	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	37400-67000+8700 ग्रेड वेतन
2	उप संचालक	-	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600-39100+6600 ग्रेड वेतन
3	डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर	1	-	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन
4	प्रोग्रामर	1	-	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन
5	सहायक संचालक	1	-	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600-39100+5400 ग्रेड वेतन
6	सहायक लेखाधिकारी	-	2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
7	सहायक प्रोग्रामर	-	3	3	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
8	सहायक ग्रेड-एक	-	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300-34800+3600 ग्रेड वेतन
9	शीघ्रलेखक	-	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 ग्रेड वेतन
10	लेखापाल	1	-	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन
11	सहायक ग्रेड-दो	-	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 ग्रेड वेतन
12	सहायक ग्रेड-तीन	-	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन
13	वाहन चालक	-	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200-20200+1900 ग्रेड वेतन
14	भृत्य	-	4	4	अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी	4400-7440+1300 ग्रेड वेतन.”

टिप्पण :—वित्त विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-22-2009-ई-चार, दिनांक 23 अक्टूबर 2009 द्वारा उप संचालक, सहायक लेखाधिकारी, सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड-एक, सहायक ग्रेड-दो तथा भृत्य के पद अधिष्ठित किए गए हैं।

2. विद्यमान अनुसूची-दो के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती की प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			सीधी भर्ती हेतु समिति के सदस्य
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा में पदोन्नति द्वारा	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वित्त विभाग.	मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली.	1. अपर संचालक	1	-	-	100 प्रतिशत	-
		2. उप संचालक	1	-	-	100 प्रतिशत शासन द्वारा पदस्थ मध्यप्रदेश वित्त सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी में से.	-
	3. सहायक लेखाधिकारी	2	-	-	100 प्रतिशत अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों में से.	-	
	4. सहायक ग्रेड-एक	1	-	100 प्रतिशत	-	1. अपर संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली —अध्यक्ष. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/उप संचालक की श्रेणी से नीचे का न हो —सदस्य. 3. आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5. लेखापाल/ सहायक ग्रेड-दो.	2	-	100 प्रतिशत	-	1. अपर संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली —अध्यक्ष. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/उप संचालक की श्रेणी से नीचे का न हो —सदस्य. 3. आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि अधिकारी —सदस्य.”.

3. विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :-

“ अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग.	मध्यप्रदेश वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली.	शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (10+2 पद्धति) से उत्तीर्ण होना चाहिए. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किन्हीं अन्य संस्थानों से हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रमाण-पत्र. 2. निम्नलिखित में से किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण :- (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा. (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों में से किसी एक से डिप्लोमा. (3) डी. ओ. ई. ए. सी. सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा. (4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मार्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम.”.

4. विद्यमान अनुसूची-चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची, स्थापित की जाए, अर्थात् :-

**“ अनुसूची—चार
(नियम 14 एवं 15 देखिए)**

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)	अन्य विषय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग.	लेखापाल/ सहायक ग्रेड-दो.	सहायक ग्रेड-एक.	5 वर्ष	1. अपर संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली— अध्यक्ष. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/ उप संचालक की श्रेणी से नीचे का न हो— सदस्य. 3. आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि अधिकारी— सदस्य.	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अधीन लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
	सहायक ग्रेड-तीन.	लेखापाल/ सहायक ग्रेड-दो.	5 वर्ष	1. अपर संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली— अध्यक्ष. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/ उप संचालक की श्रेणी से नीचे का न हो— सदस्य. 3. आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि अधिकारी— सदस्य.	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अधीन सहायक ग्रेड-तीन के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.
भृत्य	सहायक ग्रेड-तीन.	सहायक ग्रेड-तीन.	1. (10+2 पद्धति) से या पुरानी पद्धति से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अधीन भृत्य के पद पर सेवा के पांच वर्ष पूर्ण कर लिए हों.	1. अपर संचालक, संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, — अध्यक्ष. 2. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/ उप संचालक की श्रेणी से नीचे का न हो— सदस्य.	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अधीन भृत्य के पद पर पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो.”

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्युटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण.	3. आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधि अधिकारी—सदस्य.”.	
			4. किसी शासकीय मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन विहित गति से उत्तीर्ण की हो.		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2015

क्र. एफ 16-22-2011-ई-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-22-2011-ई-चार, दिनांक 26 मई 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 26th May 2015

No. F 16-2011-E-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Financial Management Information System Service Recruitment Rules, 2007, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- (1) For the existing Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I (See rule 5)

Classification, Pay Scale in Service and Number of posts included in the Service

S. No. (1)	Name of posts included in Service (2)	No. of posts			Classification (6)	Pay Scales Rs. (7)
		Permanenet (3)	Temporary (4)	Total (5)		
1	Additional Director	-	1	1	Gazetted Class-I	37400—67000+ 8700 Grade Pay
2	Deputy Director	-	1	1	Gazetted Class-I	15600—39100+ 6600 Grade Pay
3	Data Base Administrator.	1	-	1	Gazetted Class-II	15600—39100+ 5400 Grade Pay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Programmer	1	-	1	Gazetted Class-II	15600—39100+ 5400 Grade Pay
5	Assistant Director	1	-	1	Gazetted Class-II	15600—39100+ 5400 Grade Pay
6	Assistant Accounts Officer.	-	2	2	Non-Gazetted-III	9300—34800+ 3600 Grade Pay
7	Assistant Programmer	-	3	3	Non-Gazetted-III	9300—34800+ 3600 Grade Pay
8	Assistant Grade-I	-	1	1	Non-Gazetted-III	9300—34800+ 3600 Grade Pay
9	Stenographer	-	1	1	Non-Gazetted-III	9300—34800+ 3200 Grade Pay
10	Accountant	1	-	1	Non-Gazetted-III	5200-20200+ 2400 Grade Pay
11	Assistant Grade-II	-	1	1	Non-Gazetted-III	5200-20200+ 2400 Grade Pay
12	Assistant Grade-III	-	1	1	Non-Gazetted-III	5200-20200+ 1900 Grade Pay
13	Driver	-	1	1	Non-Gazetted-III	5200-20200+ 1900 Grade Pay
14	Peon	-	4	4	Non-Gazetted-IV	4400—7440+ 1300 Grade Pay.”.

Note.—The Post of Deputy Director, Assistant Accounts Officer, Assistant Programmer, Assistant Grade-I, Assistant Grade-2 and Peon inducted *vide* Government of Madhya Pradesh, Finance Department letter No. F-13-22-2009-E-IV, dated 23 October 2009.

2. For the existing Schedule-II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-II
(See rule 6)

Procedure of Recruitment

Name of the Department	Name of Service	Name of the posts in Service	No. of Total Posts	Percentage of posts to be filled up			Committee Members for Direct Recruitment
				By Direct Recruitment	By promotion from members of service	By Transfer/ Deputation	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Finance Department.	Madhya Pradesh Financial Management Information System.	1. Additional Director	1	-	-	100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							2. Any officer nominated by the Directorate of Financial Management Information System not below the rank of Joint Director/ Deputy Director —Member.
							3. Officer Representative of Reserved categories —Member.”.

3. For existing Schedule-III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of Department	Name of Service	Name of the post in Service	Minimum Age	Maximum Age	Prescribed Educational Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department.	Madhya Pradesh Financial Management Information System.	Setnographer	18 years	40 years	<p>1. Must have passed Higher Secondary Examination (10+2 pattern) from a recognized Board. Certificate in Hindi shorthand with a speed of 100 words per minute and Hindi typing with a speed of 25 words per minute from Madhya Pradesh Typewriting and Shorthand Examination Board or any other institutes recognized by Government of Madhya Pradesh.</p> <p>2. Passed computer examination from any of the following recognized Institution.</p> <p>(1) Diploma from any University recognized by University Grants Commission.</p> <p>(1) Diploma from any open University recognized by University Grants Commission.</p> <p>(3) Diploma level examination from DOEACC.</p> <p>(4) Modern office Management course from Government Polytechnic College.”.</p>

4. For the existing Schedule-IV, the following Schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-IV
(See rule 14 and 15)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Name of Post to which promotion is to be made	Required Educational Qualification and Experience	Name of the member of Departmental Promotion Committee (see rule 14)	Other Matters
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Finance Department.	Accountant/ Assistant Grade-II.	Assistant Grade-I.	5 years	1. Additional Director, Directorate Financial Management Information System— Chairman. 2. Any officer nominated by the Directorate of Financial Management Information System not below the rank of Joint Director/Deputy Director— Member. 3. Officer Representative of Reserved categories— Member.	Completed Five years of service on the posts of Accountant/Assistant Grade II under the Directorate of Financial Management Information System.
	Assistant Grade-III.	Accountant/ Assistant Grade-II.	5 years experience.	1. Additional Director, Directorate Financial Management Information System— Chairman. 2. Any officer nominated by the Directorate of Financial Management Information System not below the rank of Joint Director/Deputy Director— Member. 3. Officer Representative of Reserved categories— Member.	Completed Five years of service on the posts of Assistant Grade III under the Directorate of Financial Management Information System.
	Peon	Assistant Grade-III.	1. Must have passed (10+2 pattern) passed or old pattern of Higher Secondary examination. 2. Completed Five years of service on the posts of Peon under the Directorate of Financial Management Information System. 3. Passed computer training from any Govt. recognized Institution. 4. Passed Hindi typing as per the prescribed speed from any Govt. recognized Institution.	1. Additional Director, Directorate Financial Management Information System— Chairman. 2. Any officer nominated by the Directorate of Financial Management Information System not below the rank of Joint Director/Deputy Director— Member. 3. Officer Representative of Reserved categories— Member.	Completed Five years of service on the posts of Peon under the Directorate of Financial Management Information System.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SUSHMA SHARMA, Dy. Secy.